



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य
(पत्रांक-175/2022 दिनांक 25.06.2022)



दिनांक- 25.06.2022 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही (कुल-01)

थाना हाटा-

थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा दो नफर अभियुक्तों 1. नीरज गौड़ पुत्र विजई गौड़ साकिन देवतहा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर 2. मोहन सिंह पुत्र रामप्यारे सिंह साकिन पगरा थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-288/22,291/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा 02 अदद मोटर साइकिल (कुल कीमत एक लाख रुपये) की सम्पत्ति गैग्रेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल द्वारा समस्त थाना प्रभारी को गैग्रेस्टर एक्ट में पंजीकृत मुकदमों के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध गैग्रेस्टर एक्ट के अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा गैग्रेस्टर एक्ट के अपराधी अख्तर पुत्र अजमुद्दीन निवासी ग्राम सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर जिसके विरुद्ध थाना हनुमानगंज से गैग्रेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। अपराधी अख्तर के विरुद्ध थाना हनुमानगंज पुलिस द्वारा अपराधी के तीन वाहनो 1.टीवीएस अपाची 160 सीसी पंजीकरण नं0 UP 57 AK 4239, 2. यामहा सालूटो पंजीकरण संख्या UP 57 AH 7279, 3.महिन्द्रा बोलेरो पिकप संख्या UP 57 AT 1969 की जब्तीकरण हेतू श्रीमान न्यायालय जिलाधिकारी कुशीनगर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी। अभियुक्त उपरोक्त तीनों वाहनो को जब्त करने का आदेश पारित किया गया था। जिसके अनुपालन में आज दिनांक 25.06.2022 को उपरोक्त की दो अदद मो0सा0 की धारा 14(1) गै0एक्ट में जब्त की गयी। अभियुक्त की महिन्द्रा बोलेरो पिकप संख्या UP 57 AT 1969 के बारे में जानकारी करने पर पता चला है कि यह वाहन थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर में मु0अ0सं0 349/2019 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में पूर्व से दाखिल है। कुल एक लाख रुपये की सम्पत्ति की जब्ती की गयी।

जब्त किये गये वाहनो का विवरण-

- 1.टीवीएस अपाची 160 सीसी पंजीकरण नं0 UP 57 AK 4239 (कीमत करीब 52000 रुपये)
- 2.यामहा सालूटो पंजीकरण संख्या UP 57 AH 7279 (कीमत करीब 48000 रुपये)

जब्तीकरण करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री हुसैन हैदर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 2.हे0का0 अनिल सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
3. का0 विकास यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा एक अदद मोटर साइकिल (कीमत लगभग 60,000/- रुपये) की सम्पत्ति गैग्रेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज कुशीनगर श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के तहत गैग्रेस्टर एक्ट के अभियुक्तो के विरुद्ध गैग्रेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही के क्रम में गैग्रेस्टर अपराधी राजेश कुशवाहा पुत्र मोतीचन्द कुशवाहा निवासी मठिया माफी गोड़रिया थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर हा0मु0 डिही पकड़ी थाना भितहा जनपद पश्चिम चम्पारण बिहार जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 38/2017 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। अपराधी राजेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा अपराधी के एक अदद मोटरसाइकिल वाहन 1. गैलेमर 125 सीसी पंजीकरण नं0 UP 57 N 2109 की जब्तीकरण हेतू श्रीमान न्यायालय जिलाधिकारी कुशीनगर महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसमें श्रीमान जिलाधिकारी कुशीनगर महोदय द्वारा अभियुक्त की उपरोक्त वाहन को जब्त करने का आदेश पारित किया गया था। जिसके अनुपालन में थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 25.06.2022 को अपराधी राजेश उपरोक्त की एक अदद मो0सा0 (कीमत करीब 60000/- रुपये) को गैग्रेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्त की गयी।

जब्त किये गये वाहनो का विवरण-

- 1.हिरो होन्डा गैलेमर 125 सीसी पंजीकरण नं0 UP 57 N 2109 (कीमत करीब 60000/- रुपये)



जब्तीकरण करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र०नि० नरेन्द्र प्रताप राय थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० श्री रामेश्वर यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
3. हे०का० मृत्यंजय सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
4. का० सूर्यप्रताप सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)

तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त एक अदद चाकू के साथ किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बभनौली पुलिस के पास से मु०अ०स० 197/2022 धारा 307,504,506,452 IPC में वांछित अभियुक्त सद्दाम पुत्र मुनीब अंसारी निवासी हनुमान अहिरौली थाना सेवरही जनपद कुशीनगर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चाकू बरामद किया गया। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 199/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

सद्दाम पुत्र मुनीब अंसारी निवासी हनुमान अहिरौली थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. SHO श्री जय प्रकाश पाठक थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
2. व०उ०नि० श्री गिरधारी यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
3. का० विजय बहादुर सिंह थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
4. का० धर्मेन्द्र यादव थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।
5. का० अमरेन्द्र राय थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 49 नफर अभियुक्त को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-02, ई-चालान-39 वाहन।
2. 107/166 जो० फौ० में की गयी कार्यवाही मु०-46, व्यक्ति-171
3. वांछित /वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)
4. आबकारी अधि० में की गयी कार्यवाही मु०-02, अभि०-02, बरामदगी-20 ली० कच्ची शराब
- *5. जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-52)***

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

